माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म॰प्र॰ ग्वालियर सभाग ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक पी॰ बी॰ आर॰/ 2014/निगरानी — R-3701-PBR/14

द्वारिका प्रसाद कुशवाह पुत्र स्व॰ श्रीवालीराम कुशवाह निवासी - ग्राम -वीरपुर परगना व जिला ग्वालियर म॰प्र॰

----- आवेदक

1॰ श्रीमती कौशल्या देवी पत्नि श्री गौतम सिंह निवासी -मरीमाता मंदिर के पीछे, फूलबाग रोड ग्वालियर म॰प्र॰

2॰ श्रीमती जयदेवी कुशवाह पत्नि श्री प्रीतमसिंह निवास - श्याम बाल निकेतन स्कूल के पास तारागंज लश्कर ग्वालियर म॰प्र॰

----- अनावेदकगण

निगरानी आवेदन धारा 50 भू॰ रा॰ स॰ 1959 के तहत

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर वृत्त लश्कर ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक - 30/13-14/अपील मे पारित आदेश दिनांक 22॰9॰14 के विरुद्ध निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है :-

संक्षिप्त विवरण :-

यहकि, प्रार्थी के पिता वालीराम के भूस्वामी स्वत्व की आराजी मौजा वीरपुर व अजयपुर मे स्थित थी वाली सिंह की मृत्यु दिसम्बर वर्ष 1991 मे होने के बाद वाली सिंह द्वारा छोडी गई सम्पत्ती पर प्रार्थी एव प्रार्थी की माँ गणेशी बाई का नामातरण समान भाग परपंजी क्रमांक - 7 ग्राम अजयपुर पर अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा पारित आदेश से दिनांक 3॰9॰1996 को स्वीकार हुआ उक्त नामातरण आदेश की जानकारी प्रतिप्रार्थीगणो को भलीभाँति

---/2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3701–पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–11–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22–9–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण उन्हें तहसील न्यायालय द्वारा पंजी कमांक 18 पर पारित आदेश दिनांक 15–11–2012 की जानकारी नहीं हो सकी एवं दिनांक 11–4–2014 को खसरा प्रतिलिपि प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई । चूंकि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	4/8/11/98

---/2